157

The question was put and the motion was adopted

SHRI NITI RAJ SINGH CHAU-DHURY Sir, I move —

'That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to"

The question was put and the motion was adopted

MOTION RE: THIRTEENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHPI F H MOHSIN) SIT I beg to move —

"That the Thirteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period from 1st July 1970 to 30th June 1971, laid on the Table of the Rajya Sabha on the 23rd August 1973, be taken into consideration"

Sir, we are going to discuss the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities. It is unfortunate that the author of this Report, Shrimati Debaki Gopidas, the former Commissioner for I inguistic Minorities, is no more. She died in the air crash near Delhi on the 31st May 1973 while returning from Madras. It is unfortunate that her advice, during the course of the debate on this Report, is denied to us.

Sir, as the House is aware, in accordance with article 350B of the Constitution, the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities was set up in July, 1957. The main functions of the Commissioner are to investigate, in accordance with the provisions of article 350B(2), all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities and to report to the President on these matters at such intervals as the President may direct. The Commissioner is expected to send the

Report to the President as and when required by him But, Sir, now Annual Reports are being prepared by the Commissioner for Linguistic Minorities and are discussed in this House often Now we are considering the Thirteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities

Sir, the Commissioner has made some remarks in the Report on the safeguards, on the working of the safeguards, for the linguistic minorities

श्री जगदम्बो प्रसाद यादव उपमभाध्यक्ष महोदय मै सिर्फ खाली कोरम का सवाल नहीं उठाना चाहना ह लेकिन यहा पर न तो कोई कैबिनेट स्तर का मत्नी है न लीडर ग्राफ द हाउम है, न व्हिप है काग्रेम बैन्च बिलकुल ब्लैंक है। क्या हाउस का चलाने की जिम्मेदारी सरकार की बिलकुल नहीं है?

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) You are raising the question of quorum only? The concerned Minister is here

SHRI PITAMBER DAS They are caught on the wrong foot

श्री जगदमी प्रसाद यादव कोरम भी नही है, सरकार का भी कोई नही है। कन्सर्न्ड मिनिस्टर से ही सबध नहीं हैं . .

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) सब तो यहा मौजूद हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव न व्हिप है, न ली उर ग्राफ द हाउस है कोई मेम्बर भी कॉलग पार्टी का उपस्थित नहीं है । कोरम का ही सवाल नहीं है। कोरम भी नहीं है, डिकोरम भी नहीं है।

श्री स्रोम् मेहता मे स्रागया हू।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है 7 ग्रापके हाउस के सदस्य कहां हैं 7

श्री श्रोम् मेहता देखिए, ग्रापको इतना तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। सब ग्रा जाएगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You can go on, Mr. Mohsin. We are ringing the quorum bell.

SHRI F. H. MOHSIN: Yes, Sir. I was mentioning that the Thirteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities is being considered. Sir, as is usual, he prepares the Annual Reports.

(Quorum bell rings)

SHRI K. CHANDRASHEKHARAN: Sir, Opposition Members have to respond to the quorum bell.

THE VICE-CHAIRMAN: Everybody has got the responsibility, you see.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मबसे बड़ी चीज राज्य सभा की प्रतिष्ठा का है, क्योंकि यहां पर इस समय न चीफ व्हिए है, न मंत्रीगण हैं श्रीर न ही यहा पर कोरम है। यह सरकार की जिम्मेदारी हैं कि वह यहां पर कोरम बनाये श्रीर जब सरकारी पक्ष के ही लोग गायब हैं, तो यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखें। श्राप मिनिस्टर, लीडर श्रीर व्हिप से कहिये कि वे सदन में उपस्थित रहें।

श्रो राम निवास मिर्धाः ग्रापने कह दिया है तो बहुत काफी है।

श्री पीताम्बर दास : सवाल श्रहसास का है। ग्रगर श्रहसास है तो ठीक हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Yes, the Minister.

SHRI F. H. MOHSIN: I was saying that the Commissioner for Linguistic Minorities prepares annual reports, furnishing information about the extent to which constitutional safeguards have been complied with by the State Governments and then implemented by the various State Governments also. The Commissioner receives complaints from various linguistic minorities and takes up the matter with the State Governments concerned to meet their grievances. The Commissioner such is now a very important link between the States and the Centre and also meeting the grievances of the linguistic minorities in every State.

Sir, before the reorganization of States on linguistic basis, many of the States were bilingual or even trilingual. But even after the formation of the States on linguistic basis, the problems of the linguistic minorities still remain, and in some of the States, really important complaints are received very often. They are taken up by the Commissioner for Linguistic Minorities, and after the report is presented Central Government also takes up those grievances with the State Governments conconcerned. The safeguards are provided in the Constitution, but often at the meetings of the Chief Ministers and the Education Ministers of all the States concerned, the problems of linguistic minorities are discussed and the decisions arrived at also got implemented by the State Governments. And I am happy to say that co-operation of the State Governments is somewhat encouraging.

Up till now, 12 reports have been laid and discussed here. Now I shall be very happy to hear the observations of the hon. Members of this House on this thirteenth Report. Before saying much about this Report and its implementation, I would be very happy to hear the Members' remarks on this Report.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): There is one amendment by Mr. Jagdambi Prasad Yadav. Are you moving, Mr. Yadav?

Commissioner for

Linguistic Minorities

SHRI J. P. YADAV (Bihar): Yes. Sir I beg to move:-

"That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"and having considered the same. this House is of the opinion that the definition of 'Linguistic Minorities' on which the Report is based should be changed so that the facts and figures contained in the Report do not depict a misleading picture."

The questions were proposed.

श्री श्रोइम् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, 1954 मे राज्य पूर्नगठन श्रायोग की स्थापना की गई थी ताकि प्रान्तो के एक भाषाई राज्य बनाए जा सके स्रौर वे राज्य बने। राज्य बनने के पश्चात राज्य पूनर्गठन स्रायोग ने ग्रपनी रिपोर्ट दी कि प्रत्येक राज्य मे विभिन्न भाषा-भाषी लोग है, इसलिये प्रत्येक में अल्पसंख्यक भाषा-भाषी लोगो की भाषाग्रो की रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। भाषा-जात ग्रीर ग्रल्पसख्यक लोगो की सख्या प्रत्येक प्रान्त मे है और इसीलिये उनकी भाषा, सस्कृति की रक्षा के लिये एक भाषा-जात म्रायुक्त नियुक्त किया गया, ताकि प्रत्येक प्रान्त में ग्रहप-सख्यको की भाषा की सूरक्षा की जा सके। उसके पश्चात यह प्रत्यन चला भ्रौर प्रत्येक प्रान्त ने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया। इस दिशा मे हमारी केन्द्रीय सरकार भी थोडी सी जागरुक हुई ग्रौर उत्तर प्रदेश मे उर्दु भाषा की सुरक्षा के लिये बहुत तत्परता से कार्य कर रही है।

श्री महाबीर त्यागी : इलेक्शन के वास्ते।

श्री श्रोइम् प्रकाश त्यागी : सरकार का उद्देश्य तो यही है। ग्रगर चुनाव न होते ग्रौर ईमानदारी के साथ सभी प्रान्तो मे इस प्रकार से भ्रपनी **बेचै**नी प्रकट करती, तो ज्यादा भ्रच्छा होता। लेकिन वह तो चुनाव की वजह से वहां पर ज्यादा सिकय हो गई है। परतु मै एक बात जानता हू, 42 RSS/73—6

क्यों कि मैने इसी सदन में पिछले वर्ष 12वीं रिपोर्ट पर बोलते हुए पजाब प्रान्त के बारे में कुछ शिकायते पेश की थी। परत ग्रभी तक वहा के भाषा-जात ग्रत्पसख्यको की सुरक्षा के लिये इस आयक्त ने कुछ भी नही किया है। मै कुछ थोड़े से ग्राकड़े ग्रापके सामन रखना चाहंगा। ग्रन्चछेद 350 (क) ग्रीर (ख) के अनुसार पजाब मे भाषा-जात अल्पसटयको के लिये वहा की सरकार ने क्या किया है, व मै ग्रापके सामने रखना चाहता ह। पजाब सरकार ने यह बात मानने से ही इनकार कर दिया है कि पजाब प्रान्त मे कोई भाषा-जात ग्रल्पसख्यक भी है। मैं श्रायक्त के शब्दों में ही श्रापको यह तथ्य बता देना चाहता हं--जो कि रिपोर्ट में इस प्रकार दिया गया है--"पंजाब सरकार ने भाषा-जात अल्प-के लिये सूरक्षणो कार्यान्ययन सख्यको के के बारे मे सूचना नही दी जो कि सभी राज्य सरकारो तथा सघ शासित क्षेत्रो को भेजी गई प्रश्ना-वली मे मागी गई थी। पजाब सरकार का दिष्ट-कोण यह है कि प्रश्नावली मे सूरक्षणो को लागु करने के बारे में मागी गई सुचना देने का प्रश्न ही नही उठता,क्योंकि राज्य मे कोई भाषा-जात फ्रन्प-सख्यक है ही नहीं।'' यानी पजाब सरकार इस बात को मानने से इन्कार करती है कि पजाब मे भाषा-जात ग्रल्पसख्यक है भी। मेरे सामने 61 ग्रीर 71 के सेन्सस की रिपोर्ट है। उसमे से मै पजाब के फिगर्स देना चाहता ह। सन '61 मे वहा पर हिन्दी भाषा-भाषियो की सख्या 1,12,98,855 थी ग्रीर '71 मे 27,05,931 थी जबकि पजाबी भाषियो की सख्या '61 मे 83,43,264 थी श्रीर '71 मे 1 करोड़ से कुछ ऊपर थी। इस हिसाब से प्रतिशत लगाया जाय तो 25 प्रातशत का ग्रनुपात वहा हिन्दी भाषा-भाषियो का है। साथ ही उर्दु भाषा-भाषी भी है। '61 के सेन्सस मे वे 2 लाख 55 हजार थे श्रीर '71 के सेन्सस मे 29 हजार दिखाए गए है। इस सबध मे मैंयह कहना चाहता हं कि जब '71 की जनगणना हुई तो उस समय विशेष रूप से पजाब सरकार ने ऐसे लोगो को जनगणना की रिपोर्ट लेने के ।लये लगाया, जिन्होने जबरदस्ती लोगो की भाषा पजाबी लिखी। इतना ग्रन्याय हुग्रा कि जब हिन्दी भाषा-भाषी 1 करोड़ से 27 लाख रह गए। फिर भी 163

[श्री म्रोउम् प्रकाश त्यागी]

वहा हिन्दी भाषा-भाषी 25 प्रतिशत हैं। तो मै यह जानना चाहता हु कि पजाब मे जो भाषा जात म्रत्पसख्यक है, उनकी सुरक्षा के लिये म्रायुक्त ने क्या किया?

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी पजाब सरकार ने वहा के भाषा-जात ग्रल्पसख्यको के लिये जो नीति ग्रपनाई है, वह म उसी के शब्दों में बताना चाहता हूं। शिक्षा के सबध मे जो सूरक्षा दी गई है, ग्रल्पसख्यको के लिये वह यह "यदि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर किसी स्कूल में 40 छात्र या किसी कक्षा में 10 छात्र अपनी मात्भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हो, तो न्यूनतम एक अध्यापक नियक्त करके ग्रध्यापन की व्यवस्था करना"। इस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिये, परतु भाषा-जात ग्रस्पसख्यको के लिये जो स्थिति पजाब मे है, वह यहं है।

'552--पजाब सरकार के प्रतिनिधियो ने जो बैठक में उपस्थित थे कहा कि सरकारी निर्णय के अनसार सरकारी प्राइमरी स्कुलोमे हिन्दी शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती, किन्तु हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने वाले प्राइवेट स्कूलो को सहायतार्थ ग्रन्दान दिये जाते हैं '

ऐसा पजाब सरकार ने कहा है "राज्य सरकार से पिछले 5 वर्षों में हिन्दी माध्यम वाले प्राइमरी स्कलो को राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ म्रनुदान के वर्षवार म्राकड़े देने के लिये कहा गया।" तो वह म्राकडे म्रभी तक नही दिये गए। वहा के भाषा-जात ग्रल्पसख्यकों के लोगों ने शिकायत करते हुए सहायक आयुक्त को अपनी जो शिकायते उपस्थित की है, उसमें उन्होने यह चीज उपस्थित की है - ~

"पजाब सरकार द्वारा सच्चर फारमुले के रह किये जाने के बारे में जिसका उल्लेख 12वी रिपोर्ट के पैराग्राफ 255 मे किया गया है, मर्वदलीय हिन्दी रक्षा समिति ने बताया कि सविधान के अन्चछेद 350ख भीर 350क की गई व्यवस्था के ग्रधीन राष्ट्रपति द्वारा पजाब सरकार को निदेश दिया जाए ताकि भाषा-जात

अल्पसख्यको को अपने बच्चो को मातृभाषा मे शिक्षा देने के ग्रधिकार का उस सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जाए।"

Commissioner for

Linguistic Minorities

श्रौर, उपाध्यक्ष महोदय, 'भाषाजात ग्रल्पसंख्यको के प्रतिनिधियो ने महायक ग्रायक्त के सामने जिनसे वह 1971 में चडीगढ़ के दौरे के दौरान मिले थे, बताया कि पजाब के पूनर्गठन के पूर्व अल्पसंख्यको को अपनी मात्भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा सरकारी स्कूलों में प्राप्त थी। किन्तु पुनर्गठन के बाद हिन्दी तथा उर्दू भाषियो को प्राथमिक ग्रौर माध्यमिक सरकारी स्कूलो मे ग्रपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की कोई सुविधाए नही है। कहा गया है कि जनगणना के ग्राकडो से यह स्पष्ट है की पजाब की जनसख्या का एक पर्याप्त भाग हिन्दी भाषा-भाषी है, फिर भी पजाब सरकार सरक्षणो की स्वीकृत योजना के ग्रनुसार सुविधाग्रो की व्यवस्था करने पर सहमत नहीं हुई।'

मरकारी प्राइमरी स्कूलो ग्रौर माध्यमिक स्कूलो मे हिन्दी भाषा-भाषियो को अपनी मातभाषा मे पढने की सुविधा नहीं है। यहा तक कि, उपाध्यक्ष महोदय, वहा प्राइवेट स्कूल है जो कि हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रत्यन करते हैं, परत् जब वह विश्वविद्यालय मे यहा कालेजो मे पढने के लिए जाते है तो उनको हिन्दी भाषा के माध्यम पढने का सुम्रवसर प्रदान नहीं होता।

उपाध्यक्ष ,महोदय, यही स्थिति भाषा की है। पजाब मे चाहे वहा के उर्दू के भाषाजात ग्रह्पसख्याक है चाहे हिन्दी के है, हिन्दी भाषा-भाषी है, उनको पजाब सरकार कोई सुरक्षा नही दे रही भ्रीर उसकी मान्यता यह है कि पजाब भाषा-भाषी है, वहा ग्रल्पसख्यक है ही नही। प्रकार की उनकी मान्यता है।

जहा तक सरकारी नौकरियो का प्रश्न है, सरकारी नौर्कारयों में जो सरक्षण हमारी सरकार ने दिया है, उसको मै पढना चाहता हू**। उसमे** सरक्षण इस प्रकार दिया गया है--

"राज्य सेवाग्रो में भर्ती के राज्य की सरकारी

भाषा के पूर्व ज्ञान की गर्त नहीं होनी चाहिये ग्रौर परीक्षा के माध्यम के रूप में अग्रेजी अथवा हिन्दी का प्रयोग करने की अनमति दी जानी

चाहिये। राज्य सरकारी भाषा मे दक्षता की परीक्षा परिवीक्षा की ग्रविध में ली जानी चाहिए।"

परन्तु उपसभापित महोदय, पजाब प्रान्त मे ग्रनिवार्य है कि किसी भी राज्य सेवाग्रो के लिए कोई भी प्रत्याशी जाता है तो उसके लिए पजाबी भाषा ग्रनिवार्य की हुई है, जब कि भाषा-जात ग्रल्पमध्यको को इस बात के लिए छूट

जहां तक सरकारी कामकाज मे हिन्दी की सुरक्षा का प्रश्न है, उमके लिए इस प्रकार की सुरक्षा ग्रापके यहां दी गई है :—

दी गई है। पजाब में कोई छूट नहीं है।

स्रोर तहसील प्रादि के स्तर पर जहा कि भाषा-जात ग्रल्पमख्यक कुल सख्या के 15--20 प्रति-शत है, प्रमुख सरकारी नोटिस, नियम तथा ग्रन्य प्रकाशन ग्रल्पसख्यकों की भाषा में निकाले जाने चाहिए।

'जिला स्तर पर, उसके नीचे नगरपालिका

यह सरक्षण दिया हुआ है, परन्तु पजाब की स्थिति क्या है? जो श्रायुक्त की रिपोर्ट है उसी से श्रापको यह चीज बनाना चाहता हूं कि वहा कितना सरक्षण प्राप्त है। श्रायुक्त की रिपोर्ट की धारा 461 में लिखा है:—

"भाषाजात ग्रल्पमख्यको के प्रतिनिधियो ने जो मार्च, 1971 चडीगढ़ में महायक आयुक्त से मिले थे इस बात नी जिकायत की कि महत्वपूर्ण सरकारी नोटिस, नियम ग्रादि ग्रल्पसख्यक भाषाग्रो में प्रकाशित नहीं किये जा रहे हैं ग्रौर इससे हिन्दी ग्रौर उद्बोलने वालों को किटनाइया ग्रनुभव हो रही है, उन्होंने ग्रारोप लगाया कि हिन्दी की नाम पट्टिकाए ग्रौर साइन बोर्ड हटा दिये गए थे। किन्तु उन्होंने बताया कि मतदाना सूचियां हिन्दी में भी प्रकाशित की गई है। भाषाजात ग्रल्पसख्यको द्वारा ग्रनुभव की जाने वाली किटनाइयो

की ग्रीर पजाब सरकार का ध्यान ग्राक-

र्षित किया गया है ग्रौर उनके विचा होने की प्रतीक्षा है ।"

इसके ग्रलावा 462 धारा मे भ्राय् रिपोर्ट यह बतलाती है:---

"एक शिकायत इस बारे में भी ि यद्यपि राज्य स्तर तक सारे सरकारी काय जनता से पंजाबी या हिन्दी में प्राप्त य के उत्तर याचिकाग्रो की भाषा में देने वे विद्यमान है फिर भी ग्रावेदन पत्न केवल में ही प्राप्त किये जाते हैं ग्रौर उत्तर ध उसी भाषा में दिए जाते हैं।"

सरक्षण इस बात का है कि जिस मे वहा ग्रावेदन पत्न दिये जाये, उम् मे उत्तर दिया जाय, परन्तु पजाब मे भाषा मे केवल ग्रावेदन पत्न दे सकते है ग्रीर भाषा मे ही उत्तर दिये जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष बात ग्रापका ध्यान ग्राकिषत करना चाहता वह यह है ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHE RAJU): Tyagiji, you are taking y in quotations.

श्री ग्रोइम् प्रकाश त्यागी : पजाव

की नीति यहा तक कडी है कि मैं ए सा उदाहरण देना चाहता ह । तालो मे जहा म्रांख के रोगी **ग्राख के रोगो के डाक्टर** परीक्षा चार्ट लगा रखते है । इसमें का सवाल नहीं है। भ्रेशेजी पढ़ने वालो व का चार्ट दिया जाना चाहिये. को हिन्दी का चाटं दिया जाना पजाबी पढ़ने वालो को पजाबी का जाना चाहिये; क्योकि वेपट सकते है। चल सकता है कि उनकी ग्राई साइड वी कितनी वीक है। ग्राप ग्राश्चर्य करेगे के श्रम्पतालो मे पंजाबी भाषा के गये है स्रौर हिन्दी भाषा के सब चार्ट व दिये गये हैं।

कसे मालुम श्री महाबोर त्यागी : यह

श्री स्रोइम् प्रकाश त्यागी : स्रायुक्त की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राज्) : ठीक है, अब आप का टाइम हो गया है।

श्री ग्रोइम् प्रकाश त्यागी : "एक शिकायत इस बारे मे प्राप्त हुई थी कि राज्य सरकार ने पजाब के सभी अस्पतालों में नेत परीक्षा के लिए हिन्दी के चाटों का प्रयोग बन्द कर दिया है। इसके फलस्वरूप केवल हिन्दी जानने वाले रोगियो को बड़ी ग्रसविधा हो रही है ग्रीर उनके नेत्रो की ठीक-ठीक परीक्षा नहीं हो पाती ।

यह ग्रायुक्त की रिपोर्ट है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी॰ बी॰ राजु) : म्रब ग्राप समाप्त कीजिए ।

श्री श्रोइम् प्रकाश त्यागी : ग्रन्त मे मंत्री महोदय से मै यह प्रार्थना करना चाहुगा कि पिछले वर्ष भी मैने शिकायत की थी कि पजाब मे भाषा-जात ग्रल्पसख्यको को संरक्षण नही दिया जा रहा है। वहां भ्रार्य समाज के बहुत कालेज चलते है । उन कालेजो पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे हिन्दी माध्यम से शिक्षा नही दे सकते । उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मे ग्रपील की ग्रीर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रल्पसंख्यकों को यह ग्रधि-कार वहा पर दिया । पजाब सरकार यह कहती है कि वहा भाषा-जात अल्पराख्यक है हो नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसको मानता है, फिर भी वहा के ग्रल्पसख्यको को कोई सरक्षण नही दिया जा रहा है । मै सरकार से प्रार्थना करना चाहता ह कि आयुक्त जिस उद्देश्य से स्थापित गया है कि भाषा-जात श्रल्पसंख्यको का सरक्षण होना चाहिये, उनके ग्रधिकारो की सुरक्षा चाहिये, उसकी पूर्ति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए । स्रौर पजाव में विशोष रूप से मैंने अ।पके सामने आकड़े पेश किये है। स्राशा करता हू कि आप पजाब के भाषा-जात अल्पसख्यको को दयनीय भ्रवस्था से निकालने को चेष्टा करेंगे।

SHRI N. R. CHOUDHURY: (Ass: Sir, while going through this Report point that struck my mind was whethe are really sincere about solving the prol of the linguistic minorities in the cou According to the Government of I Memorandum of 1956 as also the s ment by the Chief Ministers in Aus 1961, we formulated a national policy till date we have not been able to fol it up and as a result, even after 25 ye of independence we have to face linguriots in different parts of the country.

Sir, we formulated a policy but the was no such thing as an institution or or nisation to supervise or review the differ steps taken by the Union territories State Governments and as a result of th the State Governments, even though t leaders may be sincere, had to succumb of reactions the chauvinistic pressure forces of the States. The Chief Ministe Conference of 1961 felt that zonal cou cils could serve as the best forum for t purpose of supervision and review. B what happened? After August, 1964, t today the zonal councils never met. Als the Commissioner says in his Report o page 114:--

"Replies from the State/Union terr tory Governments/Administrations as not received and when they are forth coming, also they do not always appea to be satisfactory. At the same time the extent to which this office can take up independent investigation to find our the causes of the decreases in the facilities are still limited."

So, though there are some safeguards in our 1956 Memorandum and also the Chief Ministers' statement, these safeguards are never implemented. As a result even in this year of 1973 when we are discussing this 13th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities, in different parts of our country the problems of linguistic minorities still remain and in certain parts of the country today when we are discussing this Report here in this House, peace is also not there.

Sir, last November when we were discussing the 12th Report I mentioned certain things about Assam. You know, Sir, in this Annexure item No. 10 on page 136—extract from statement issued by meeting of Chief Ministers of States and Central Ministers held in August, 1961—it is mentioned:—

"The question of affiliation of schools and colleges using minority languages to universities and other authorities situated outside the State was considered. It was agreed that in most cases it should be possible to arrange for the affiliation of such institutions to universities or Boards within the State, but where there were insuperable difficulties in making arrangements for such affiliation within the State, they might be affiliated to universities or Boards outside the State."

This is a clear provision and this provision is there in the Constitution itself also. The linguistic minorities of the State of Assam are demanding that this safeguard should be there and they should not be deprived of the opportunity of having their university education through their mothertongue. You know hundreds of people gave their lives during last year's language After that a peaceful movement was organised in the District of Cachar and there was an agreement between the then Minister of State for Home Affairs, Mr. K. C. Pant, the Chief Minister of Assam and the Cachar leaders. In that Agreement all the parties agreed that they will give up agitational approach and the matter will be taken up with the university authorities and both the State Government and the Government of India will assist the people of Cachar for attainment of their language rights but, Sir, after that one year has passed and nothing has been done in this matter either by the university or by the State Government or by the Government of India. As a result a separatist movement is now in the offing in that part of the State and I am afraid that unless a tangible workable formula is worked out either by the Government of India or the State Government to solve this problem

ot medium of instruction I am the separatist movement will gai and ultimately what will happen cannot say today. Sir, the Bo were the original settlers of the Assam and they are also demar language. They do not support uage policy adopted by the Gove Assam and the university there, sult what happens there will be a telegram which I will be jus This telegram is addressed to Minister, the Home Minister at Members of Parliament. The says:

"Large scale police atrocities tribals of Assam going hundreds. Plain arrested in Council and Linguistic Minori Committee leaders of Kokrajh ing Praseniit Brahma and Bhattacharjee arrested under Paddy harvesting badly affected paralysed."

This is the telegram. When w cussing this Thirteenth Report of missioner for Linguistic Minorities also like to draw your attention other points about Cachar. was originally a part of the then Bengal. At the time of partition country Bengal was partitioned part of the then Sube of Bengal w on to Assam. Formerly the Go of India had declared their inter constitute a Purbachal Pradesh the wards somehow they dropped the that part was tagged on to Assan that is a complétely Bengali-speal geographically separated from the Assam. Now, the Assam Gover trying to impose Assamese in that the State as a compulsory langu the secondary stage and also in the and Dibrugarh universities, in the versities of the State, they are nov ing over to Assamese as the only m instruction in the universities. sult, the demand for Bengali as a of instruction rose in that part State. There was a peaceful Sa

Shri N. R. Choudhuryl movement last year and an agreement was reached between the Central Covernment and the Assam Government and also the Cachar leaders, but no follow-up action till today has been taken either by the Central Government or by the State Government or by the University. From this attitude we find and also the Report says from 1964 till today the Zonal Council did not meet. Where is the machinery for implementing the national policy on safeguard of linguistic minorities? There is no such machinery. Once in a year, on the floor of Parliament we all assemble and talk long things. After that we leave, go home and sleep. This way no problem can be solved. The other day we were discussing the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The same thing happens every time in all cases I think we cannot solve this type of problem So, it will be my request to the Home Minister that the recommendations of the Commissioner must be made mandatory and there must be an institution for the implementation of the recommendations of the Commissioner for Linguistic Minorities.

Then, Sir, another thing. In this connection one of the most important safeguards relating to linguistic minorities pertains to education. Unless the Government of India comes forward with financial assistance, the State Government would not be in a position to implement them. Such a view was once expressed by another State Government also. It has been mentioned in this connection that one of the important safeguards relating to linguistic minorities pertains to education for which it is presumed the State Governments are already subsidised in one form or another. However, the point now made by the State Governments is an indication that a clear direction mav he given bν Government of India as to how this problem has to be tackled in future. So, Sit. this responsibility of safeguarding the rights of linguistic minorities must be taken over by the Government of India and for that purpose I think education must be nation- think that it is more or less a summa alised. Thank you.

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pra desh): Sir. when the earlier Report of th Commissioner was being discussed in th House last year, some Members pointe out some cases of non-implementation (the recommendations. Today also we fin that the same things were repeated by th two previous speakers. It would be bette if while replying to this debate the ho Minister is able to tell us what efforts d the Government make to get those com laints, which were pointed out last year, r moved. Implementation report of thos suggestions would be useful.

CHANDRASEKHARA SHRI K (Kerala); Mr. Vice-Chairman, Sir. this r port of the Commissioner for Linguist Minorities in the country is being discus ed every year in Parliament. At the outs I may say that this is one of the most it portant of reports that this House can pc sibly discuss because this concerns nation most importa integration. Sir. the integration facet of national education, and the purpose of educatic the fruit of education has got to be weigh with the results, namely, appointment some service. Sir, in this country, by a large, recruitment to public service is t only means of getting employment so f as these things are concerned. In sever States you have got to depend upon er nlovment under the State Government ar therefore, Sir, rightly, this report has tri to project what has been done in the fiel of education and in the sector of recru ment to public services.

Sir, every year recommendations made and this year also in this report c tain recommendations are made. The commendations are undoubtedly good far as they go, but we are concerned w the implementation of these recommend tions.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

Reading through the last pages of t report, Sir, titled, "The Summary of I plementation of Safeguards" I cannot 1 of the non-implementation of safeguar

forthcoming.

Conference, etc.

responded to.

speaking population.

a Tulu minority area.

are some Konkani-speaking pec some Kannada-speaking people als

also has not got a script.

been

Konkani

173

The devanagari sc

Therefore, the

the same

There is a

By and lar

But r

recognised as the script

language by their

of Maharashtra, the Government c

rashtra have agreed to open Konki

ols if sufficient number of stud

tions of the people speaking Konk

where in the country should be

Ĭn

Kerala there is what is known as t

notion so far as the border area c

minority area. It is not. It is e

gode is concerned that it is a

because what that Chapter has been able to tell us has been more or less what has not been implemented. No doubt there are certain things which have been implemented and we welcome them but in a large sector there is non-implementation. In a large number of States there is non-implementation. May I know from the hon'ble Minister as to what exactly is the machinery for implementation except persuasion? Sir, to a large extent persuasion has got to succeed particularly when matters are taken up in Conferences of Chief Ministers. But I suggest, Sir, that in this field of linguistic minorities there be enacted a Central legislation as also State legislations. By and large, today we proceed on the basis of administrative and executive orders. Sir, I am happy to say it on the floor of this House that even though there are deficiencies and defects, my State of Kerala is one of the States which have sincerely implemented some of these suggested safeguards for the linguistic minorities. is because a succession of Governments and a succession of sincere, honest officers in charge of the job have thought it fit to see that the implementation of the safeguards is really fulfilment of a national purpose, and that national role will have to be played in that particular State. Sir. even in the State of Kerala there are certain deficiencies which I may point out, so far is concerned. as one linguistic minerity That is a deficiency that exists not only in Kerala but also in several other States in the country. I am particularly referring to the claims of the Konkani-speaking population in Kerala and in other States of the country. The Konkani-speaking population is a very energetic force. Wherever they have gone, they have been able to capture the business fields and in the fields of commerce, they have been able to go to the top. But it is very tragic that there is no educational medium so far as the Konkani-speaking population is concerned. I find from this Report that the contention of the Central Government, when its attention was drawn by the Kerala Government, was that there was no script for the Konkani-

have more or less accepted the script as the script for Tulu. T the aspirations of the Konkani population and the Tulu-speaking prin my State of Kerala and in varic States wherever such populations should be fulfilled by giving them ties for education in their own lang.

Sir, one very disheartening thin Report is regarding the State on Nadu. It is wrong on the part of the Nadu Government if they think the

that they think so, but if they thing would say they are wrong. The of Tamil Nadu for Tamilians or encouraged. I would appeal to the ment of India to see that this conce encouraged in that State.

Going through this report I for facilities for education in Hindi, I Malayalam and Telugu have been down every year. And even in under review facilities for educations.

Nadu is for Tamilians, I do not

Konkani-speaking population is concerned. I find from this Report that the contention of the Central Government, when its attention was drawn by the Kerala Government, was that there was no script for the Konkanilanguage. To an extent, it is true. But I find from the very same Report that in the State of negotiation and advice that Tan properly provides adequate facilities the minority languages and minorities in that State.

One important suggestion that made in this report in regard to the ment of State services is that

these languages have gone down.

fore, it should be seen through th

[Shri K Chandrasekharan]

175

ledge of the State official language should not be a pre-requisite for recruitment to State services and option of using English or Hindi as a medium of examination A test of proficiency should be allowed in the State official language should be held during the period of probation. think that this suggestion is a welcome suggestion and needs implementation. But I would only ask the honourable Minister how this is proposed to be implemented A working knowledge of English so far as probably the South Indian States are concerned, and Hindi or the State language and a fairly good knowledge for conversational purposes at least of the State language, should be ordinarily considered adequate for recruitment to the State services Unless this portion of the report on this particular suggestion is implement ed, I should think that we will be rather very far away from the position of really implementing the safeguards for linguistic minorities.

श्री सिकत्वर श्रली वज्व (महाराष्ट्र) श्राली जनाव चेयरमैन, मैं जब यहा श्रानरेबल मैम्बर्स की तकरीरे सुन रहा था, तो दूसरी जबानो के बारे में श्रीर माइनरिटीज के साथ क्या सलूक रहा है, तो मुझे हिन्दुस्तान की एक बड़ी छटी जबान का खयाल श्रा रहा था, जिसका नाम उर्दू है श्रीर ये मारी जुबानो की जो शिकायतें हैं, वह सब शिकायतें मेरी उर्दू जबान की भी है। श्रभी हमारे त्यागी जी फरमा रहे थे कि यु०पी० में जो हो रहा है, वह इलेक्शन के सिलसिले में हो रहा है।

श्री महावीर त्यागी वह मैंने इमलिए कहा कि श्रव तक गफलत थी । इतनी जरूरी चीज की बिलकुल लापरवाही की । श्रव उठे हैं इतने दिनो बाद । क्या उर्दू इतनी कम चीज थी ? उर्दू वहा का बच्चा-बच्चा जानता है ।

श्री सिकन्दर ध्रली वण्द . जो ग्राप उर्दू बोलते हैं, ग्रगरचे हम शायर है, वह फिर भी हमारे लिए काबिले तकलीद है। हमको खुशी है कि हमारी पार्टी उर्दू की मदद के लिये तैयार हुई है ग्रीर मदद के लिए ग्राप भी उठे है। लेकिन मुझे तो न्नाज स्रपोजिशन से कम कहना है, मुझे ग्रपनी पार्ट वे लोगो से ज्यादा कहना है

"बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो नथी जैसी ग्रव है, तेरी महफिल कभी ऐसी तो नथी।।'

श्री महावोर त्यागी मुभान ग्रल्ला, मुभान ग्रल्ला

श्री सिकन्दर ग्रली वज्द हमारे जो आनरेबर श्री मोहसिन इस रिपार्ट के मिलसिले मे है, वह उर्दू ज्यादा नही जानते । मैं नही जानत कि उर्दू उन्होने कितनी पढी है। इससे साबि होता है कि उर्दू मुसलमानो की जुबान नही है मुसलमान तो 6 करोड है, जिनमे सिर्फ दो-ती करोड की जुबान उर्दृहै। ग्रब यह तो बात कहः की जरूरत नही रही, ग्रब तो जनसघ वाले ग्रौ दूसरी जमाते भी कह रही है कि उर्दू सिर्फ मुसलमान की जुबान नही है। लेकिन वह यह बात इसिल कह रहे है कि कही यह 6 करोड लोग उर्दू जुबा के लिये हक न मागने लगे। मै तो सियासी म्रादम नहीं हूं, शायर हूं, पेशन शायरी की नहीं पात ट्र, जज की पाता हू। मैं चाहता हू कि इस मुल् मे उर्दूतरक्की करे। मेरी जबान के साथ ग्रब तः इसाफ भी नही हुन्ना है। मै चाहता हू कि त्यार्ग जी जैसे लोग उर्दू के लिये कुछ कहे। ग्रंब म काग्रेस मे शरीक हुआ तो लोगो ने कहा कि आप. म्रजन्ता पर नज्म लिखने मे बीम साल लगाये एलोरा लिखने पर दस साल लगाये, लेकिन ऋ ग्रगर ग्राप उर्दू के हक मे या मुसलमानो^ह हक मे कुछ कहेगे तो लोग कहेंगे कि भ्राप कम्युनन हैं। मैंने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है लेकिन भ्रगर मैं कम्युनल समझा जाऊ तो शाय इस हाउस में कोई सेक्युलर नही होगा। स मुसलमान उर्दू को ग्रपनी भाषा नही कहते हैं . . .

श्री महाबीर त्यागी भेरा चेलैज है कि इम्तहा हो जाय उर्दू मे ग्रौर फिर देखा जाये कि मुमल मान जीतते हैं कि हम जीतते हैं।

श्री सिकन्दर श्रती वर्ग्य : यही मेरा कहना कि हिन्दू जीतेंगे । मेरा हरिगज यह खया नहीं है कि उर्दू मुसलमानो की जुबान है। र उर्दू का तालिव्हल्म हूं। मैं उर्दू जुबान की तारी को थोड़ा बहुत जानता हू। यह मेरा भन्जेक्ट है। मैं यह जानता हू कि उर्दू जबान को फैलाने में हिंदुक्रों ने बहुत कट्रीब्यूट किया है। मैं यह भी समझता हूं कि मुसलमानो का लेबल लगा कर के मुस्लिम लीग जैसी जमातो ने मियामी तौर पर श्रौर जबान के मामले में मुमलमानो को श्रौर उर्दू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुचाया है।

श्री महावीर त्यागी: यह भी गलत है। ग्राप जा कर के यू० पी० में देखे कि वहा हजारो मुमलमानों के बच्चों ने ग्राजकल खुणीं से हिन्दी सीखी है।

श्री उपसभापति: यही बान वे वह रहे हैं।

श्री सिकन्दर प्रली वज्द जहा लाखी करोडी उर्द बोलने वाले हैं, वहा उर्द को कत्ल किया गया। यू० पी० में ग्राजादी के 25 माल बाद उर्द वाले भी कहते हैं कि हम को उर्द जबान न दी जाय, बल्कि हिन्दी दी जाये, नयोकि ग्रब उर्द उनको रोटी नही दे मकती । दूसरी कल्ल-गाह ग्राध्न प्रदेश है। हिन्दुस्तान ग्राजाद होने के बाद वहा उममानिया यूनिवर्सिटी से उर्द जबान हटा दी गई। क्या यही हमारा नेशनलिज्म हं? बिहार में भी यही हुन्ना । जहां तक महाराष्ट्र का ताब्लुक है, वहा उर्द को हर किस्म की मह लियन हासिल है ग्रीर सिर्फ बम्बई शहर में जितने उर्दू के स्कल है, उतने सारे हिन्द्स्तान में नहीं है। यह म्रलग बात है कि उर्द वालों को वहा नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इसका सब्त उर्दू में मुखालिफत नही है। वहा तो उर्द वाले मराठी भी जानते हैं। मैं गोरे माहब और गाडगील माहब, कुलकर्णी माहब से पूछना चाहता हू कि "महाराष्ट्र कोणाचा ?" यानी महाराष्ट्र किसका है; क्योकि चव्हाण साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र बनने पर महाराष्ट्र उन्ही का होगा जो उसकी खिदमत करेगे। लेकिन बाल ठाकरे साहब वहते है कि जिसके मा-बाप की जबान मराठी नहीं है, उसका महाराष्ट्र नहीं है। काग्रेम की वहा मरकार है, इमलिये वहा की मर-कार को इस मसले वा तसफिया करना चाहिये। हम कहते है कि हम मराठवाडा के बाशिदे जब पाच जिलो के साथ महाराष्ट्र में गये तब वह

महाराष्ट्र बना, वर्ना वह नही बनता । ग्र मे भी दबी हुई चिगारिया मौजूद हैं। एक माननीय सदस्य : विदर्भ वाले क्या

श्री सिकन्दर ग्रली वज्द में तो कह महाराष्ट्र की तत्रसीम नहीं होनी चाहि के मामले में भी गवर्नमेट ने यह तय है कि उसकी तक्सीम नही होगी। तक्सीम का नतीजा यह हम्रा कि नौकरी यर हुए मुझे दस साल हो गये, लेकिन मुझे मालम नहीं है कि मुझे कितनी पेश क्योंकि स्रभी तक इसका कोई तमिफशा है। इसलिये में नही चाहता हूं कि मृत्व तक्सीम हो। जिनकी मादरी जवान उनका महाराष्ट्र है, ऐसा कह कर ब जैसे लोग गलती करते हैं। कही ऐसा न महाराष्ट्र भी तक्सीम हो जाये। मेरे द कर्णी माहब तो बड़े ग्रन्छे ग्रादमी हैं, ग्रन् मेटेरियन हैं, बड़े माहिर हैं, बाल ठा कहते हैं कि जिनकी जवान मराठी है, उनका है। मैं श्री कुलकर्णी से पूछना कि ग्राखिर महाराष्ट्र किमका होगा ? राष्ट्र से बहत महब्बत करता ह, मैं उ मत कर रहा ह ग्रौर इसलिये मै चा गर्वनमेट को इस बान को माफ कर दे नहीं नो लोगों के दिलों में शक पैदा एक नौजवान जो मुसलमान था ग्रीर उसने उर्द मे एम० ए० किया था। जो हिदी का हामी हो जाय तो उसकी ब होती है, और वह उर्द में एम० ए० कहा कि उदं और हिंदी में फर्क को सिर्फ लिपि का फर्क है। बाब् जगजीवन ने उसकी बहुत पीठ ठोकी श्रीर कहा बडे मार्के की बात कही है। मैं चार हमारे मिनिस्टर साहेबान जिस बात को उसके बारे में कोई बात न कहा करे। झते हैं कि यह मब हिंदी वाले है ग्री मिटाना चाहते हैं। मिनिस्टर के मायने यह वह हर मञ्जेक्ट को जानता ही हो, लेकिन मिनिस्टर खड़े होते है तो माडर्न ग्रार्ट पर एनर्जी पर और माइनारिटी लैग्वेजेज प

[श्री सिकन्दर अली वज्द] करते है-। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको ग्रपने हदूद मालूम होने चाहिये । ग्रब रही उर्दू की बात । उर्दू के शेर तो सब से ज्यादा ग्रपाजिशन वाले ही पढ़ते है। बहुत से मजहबो की किताबे उर्दू मे है। उसमे वेद है, उपनिषद् है, उसमे गीता का तर्जुमा है, धम्मपद है ग्रौर कालिदास के ड्रामो का तर्जुमा है और बाद्दाबिल भी है यह सब उर्दू मे है। बाज लोग कहते है, कि उर्दू में मिर्फ मुसलमानो का लिट्टेचर है। इसमे शक नही कि उसमे मुमलमानो का लिट्टैचर बहुत है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ भी बहुत सा लिट्रेचर उर्दू मे है। हमारे श्रायं समाजी भाई चले गये, उनका सत्यार्थ प्रकाश भी उर्दू में है। उर्दू ने सब की खिदमत की है। उर्दू किमी एक फिरके की जबान नहीं है। मगर एक बात है। किमी का कल्ल छिपता नही, कत्ल बोलता है। इसी लिये उर्द के कार्तिल तीन सुबो, उत्तर प्रदेश, ग्राध्न प्रदेश

एक उर्दू शायर ने कहा है, त्यागी जी सुनिये.

''करीब है यार रोजे महशर,
छिपेगा कुश्तों का खून क्यों कर।
जो चुप रहेगी जबाने खजर,
लहू पुकारेगा श्राम्तों का"।।
श्रीर श्रकबर डलाहाबादी ने कहा है:
उर्द में जो सब शरीक होने के नहीं,
इम देश के काम ठीक होने के नहीं,
मुम्किन नहीं शेख इम्रउल कैंसे बने,
पंडिन जी बालमीकि होने के नहीं।।

भौर बिहार की मिनिस्ट्रिया श्रायी श्रौर उलट गर्या।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वाह-वाह मे भी यह लोग शरीक नहीं होते।

(Interruption)

श्री सिकन्दर ग्रली वज्द यह उर्दू फक्त शायरी नही है। उर्दू मे जो शरीक होते है। वह सिर्फ यूज्पी के नही होते है। वह उर्दू तो पूरे नेशन की जबान है। मैं समझता हूं कि इसके लिए श्रापको पूरी एडकेशन को नेशनलाइज करना पड़ेगा, श्रगर श्राप मुल्क में इंटी-प्रेशन चाहते है। महाराष्ट्र में श्राज जैसी तारीख लिखी जा रही है उस पर मुझे एतराज है। उसमें देश को डिमइटीग्रेट करने का ज्यादा मसाला है। इपको दुरुन्त करना चाहिए। हमको इस तरीके से सोचना है कि तम जिन्दुम्हानी है। मैं तो यही सोचता हूं कि

मैं उद्दं वाला हूं और मारा हिन्दुस्तान मेरा है, म परेशानी नहीं है कि उद्दं को कोई स्टेट नहीं मिल मुझे खुशी है कि सारा हिन्दुस्तान उद्दं का है। मैं त कहता हू कि यहा कोई स्नामामी है, कोई महाराष्ट्रीय है, तो मैं पूछता हू कि यहा हिन्दुस्तानी कौन है औ हम उद्दं वाले ही सब हिन्दुम्तानी है। मैं कोई शिकाय नहीं करता हू, न मुझे यह भी खुणी है कि स्रव उ के मिलमिले में मबकी स्राखे खुल गयी है। उ वाले इस मुल्क की खिदमन में किमी से पीछे नहीं है स्रभी चन्द रोज पहले मुझे उद्दं लिटरेचर की एडिटि देखने का मौका मिला जिसमें हमारे शहर, हमा नदिया, हमारे शायर, हमारे ऋषि-मुनि इस किस्म 10 वाल्युम उद्दं में तैयार हुए है। यह है उद्दं व लिटरेचर जिस पर इस्लामी छाप होने का एतरा है।

श्रो महावीर त्यागी : उर्दू आणिको की और हिन् माणूको की जुबान है।

श्री सिकन्दर ग्रली वज्द इसी लिए ग्रर्ज कर र हूं कि ग्राणिको ने बारे में। एक बुजुर्ग ख्वाजा बन्देनवा ने 5,000 साल पहले कहा था——

कुफर काफिर को भला शेख को इस्लाम भला आशिका आप भले अपना दिलाराम भला उद्दं मिजाज असल में सुफियाना मिजाज है। हमा मारे शायरों में कहुर मोलिवयों के खिलाफ जित कहा है उतना किसी जबान में नहीं कहा गया। च रोज पहले एक दोस्त ने कहा था कि जिसने बन्दे मान नहीं गाया वह देश का गद्दार है। तो यह ठीक है मुझे बन्दे मातरम् पर कोई एतराज नहीं है। इस भी ज्यादा आगे चीजे लिखी गई है। खुद "इकबाल ने तो यहा तक कह दिया है—

"खाक वतन का मुझ को हर जर्रा देवता है।" वे वहते है कि वतन का हर जर्रा-जर्रा मुझे देवर नजर स्राता है। जब मैंने "ग्रजन्ता-एलोरा" लिखा थ वाज लोगो ने एतराज कियाथा। तो मैंने उनको जवा दियाथा:

किस मुहत्वत स्रोर अकीदत से तराणे है सनम। कावाये श्रहले नजर है वज्द बुतखाना तेरा ॥ इसलिए मैं यह भी कहता हू कि उर्दू को जो मुमलमान की जबान कहता है वह भी गद्दार है—जो मुमलमान को ट्रेटर कहता है वह भी गद्दार है। जो कहता है कि

"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा" हमारा कौमी गीत नहीं है वह भी गद्दार है और जो यह कहता है कि "सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है" भी

श्रीजगदम्बीप्रसाद यादव. कहने वाले कहागए।

कौमी गीन नहीं है, वह भी गद्दार है।

श्री सिकन्दर म्रलीवज्द वहतो खुदाकेपास गए।

उसका हिमाब – िकताब हो रहा होगा। लेकिन ग्रंभी उनकी ग्रावाज गूंज रही है। देखना यह नहीं है कि किसने कहा। देखना यह है कि क्या कहा ' यह ग्रावाज तो ग्रंभी तक गूज रही है। जेलों में गूजी, फांसी के तख्तों पर गुजी।

200 वर्ष पहले के हमारे एक शायर "मीर" ने कहा है :

मीर के दोनो मजहब को तुम पूछते क्या हो, उन्ने तो । कब्का खेचा, देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया ॥

इससे उर्द का मिजाज ग्रौर ग्रन्दाज मालुम होता है।

उर्दू के खिलाफ इन 25 बरसो मे, दूसरी जवानो मे

बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन दूसरी जबानो के खिलाफ उदूं में ऐसा कोई मैटीरियल नहीं। मैं यहा पर एक काग्रेमी की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उर्दू का ब्रादमी होने की हैसियत से बात कर रहा

हू। म्रगर पाकिस्तान में उर्दू कौमी जुबान बन गई है तो क्या हुम्राः। वहा पजाबियों की मेज्योरिटी है भ्रीर ग्रगर कल पजाबी कौमी जबान बन जाये तो क्या हम यहा पजाबी को छोड़ देगे ? भाई, इक्क

भ्रोर इल्म मे नास्मुब नहीं चलता । जुबान का कोई मजहब नहीं होता । बाज वक्त वतन छूट जाता है मजहब छूट जाता है, लेकिन मादरी जबान नहीं छूटती। इकबाल कहता है—

> तुर्की भी शीरी, ताजी भी शीरी । इरफे मोहब्बत तुर्की न ताजी ॥

यानी न ग्ररबी मीठी है न तुर्की मीठी है, लेकिन मुहब्बत काहर लफ्ज मीठा है ।

मैं भी ग्रापकी खिदमत में जराग्रजंकर दू.

सर रख दिया हमने दरे जानाना सक काफिर है जो मिजदा करेबुतखाना स्

श्री सिकन्दर ग्रली वज्द , जनाब, मै जज रहा हु। मै तकरीरे सुनता ही रहा ह

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : ३

एक किम्मा मुनाऊ । एक बहुत ग्रच्छे ए काफी कानून को जानते थे, लेकिन एक केम बहम कर रहे थे तो मैने उनको रोक दिः

कि क्या ग्राप कानून भूल गये। वह जब के ग्रापे तो उन्होंने कहा कि मै कानून तो हु, लेकिन पाच सौ रुपया मिला था इसी उरु

करने का। तो मुझे हर किस्म की बात सूनई

है, लेकिन यहा मैने बहुत अच्छी-ग्रच्छी बार मैं यहा माल दो माल मे खामोज था, वे मतलब यह नहीं है कि मैं बोलना नहीं बात यह है कि ग्राज उर्दू का मामल है, इमलिए मैं कुछ कह रहा ह। मझे ब

है। मैं कोई प्रपना कमाल दिखाने के ि रहा है। किसी ने कहा कि मैं कमिटिड हु और अभी एक मृशायरे में उन्होंने मुझ काग्रेस में गये तो आपकी शायरी का क्या मैंने कहा

हर वली खून में नहाई है। लोग समझे बहार आरई है।। और फिर अपने बारे में कहा

हमने लिख्खा लह् मेग्रहदे ब हम पै इलजामे बेवफार्ड है ॥

तो जनाब में कमिटिड शायरी के इस कब्ल कर सकता ।

बाब् जगजीवन राम जी ने ब मुझे बड़ी खुणी हुई कि शकरकोट पाकिस्तान के खिलाफ मुमलमानो ने स किया। मुझे खुणी है कि मैं भूगे श्रौर मुझे इस पर फछा है। मझे अपने

एक बहुत श्रहम बात श्रर्ज करत

पर ग्रफसोस नहीं है। मुझे फट्य भी भी है ग्रौर किसी को मुस्लिम,किस [श्री सिकन्दर ग्रली वज्द]

183

होने पर शर्माने, पछताने स्प्रीर घबड़ाने की जरूरत नहीं हैं। क्योंकि यह मुल्क सब का है स्प्रीर हमारा कास्टीट्यूशन मब की हिफाजत करता है। मुझे तो इतना ही द्यजं करना है कि उर्दू का जो कानूनी हक है वह उसे मिलना चाहिये। हमारा स्राल इंडिया रेडियों जो है उसने भी जी भर कर उर्दू को कल्ल किया है स्प्रीर उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी जिस तरह हलाक किया है, उसका भी कोई जवाब नहीं। न उसकी हिन्दी समझ में स्नाती है स्रीर न उर्दू समझ स्नाती है।

जनाबवाला, मैं श्रापसे यही ग्रजं करूंगां कि कम से कम इस रिपोर्ट मे जितनी सिफारिशें हैं, उनको मैं सब जबानों की हिमायत ग्रमल में लाइये, की बात करता हं ग्रीर उसके साथ यह भी ग्रर्ज करता हं कि कम से कम उस जबान का जरूर तो ख़्याल किया जाय, जिसको तीन करोड़ हिन्दू-स्तानी बोलते है। मुझे सेन्मस की रिपोर्ट भरोसा नही है। भ्रौरंगाबाद मे मेरे घर के बीस म्रादमी रहते है, लेकिन वहां कोई सेन्सम का म्रादमी नही म्राया ग्रीर उसने न मालुम क्या लिख लिया । ग्रभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि पजाब के जो ग्राकड़े हैं, वह काबिले एतबार नही है ---यह बिलकूल टीक है। तो हर लिग्विस्टिक माइनारिटी के मिलिमले में इस रिपोर्ट की हर एक सिफारिश से इत्तिफाक है स्रौर मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट जागी है। उर्दु के लिए य०पी० में जो काम हो रहा है वह कल भ्रांध्र मे भी हो जायगा। किसी की जबान से हमको कोई झगड़ा नही है। जहा कही किसी जबान के माथ नाइन्माफी हो तो मैं उस जबान के लिये भी इसी तरह लडूंगां जिस तरह में श्रपनी जवान के लिये लड़ता हूं। ऐसे मामलो में हम साथ मिल कर चलेगे।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि ग्राज हम इस सदन में भाषाजात ग्रल्पसख्यको के विषय मे वाद-विवाद कर रहे हैं। श्रीमन्, जिस समय हमारा देश ग्राजाद नही था, उस समय हमारे यहां जो प्रान्त थे, प्रदेश थे, वह मल्टी-लिग्विस्टिक ज्यादा थे, इसलिए ग्राजादी से पहले

भी श्रौर इसके बाद भी इस बात को महसूस किया गया कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के उभार के लिए यह ग्राव-श्यक है कि उसको भ्रपनी भाषा में ही भ्रपने को एक्सप्रेस करने भौर भ्रपने को प्रकट करने का पूरा-पूरा मौका हो। स्टेट्स का डि-लिमिटेशन हुग्रा, नई स्टेट्स बनीं ग्रौर इस बात की कोशिश की गई कि जहां तक हो सके एक-भाषायी प्रदेश बनाए जाएं। लेकिन, श्रीमन्, एक-भाषायी प्रदेश भी बने. दो-भाषायी प्रदेश भी बने, राज्य बने, लेकिन इसके बावजूद जहां एक भाषा के भी प्रदेश बने वहां काफी सख्या ऐसे लोगों की रह गईं जो उस भाषा को छोड़ कर एक ग्रपनी दूसरी भाषा बोलते ग्रीर पढ्ते हैं। यही वजह थी कि राज्य पुनर्गठन ग्रायोग ने भाषा-जान ग्रत्यसंख्यकों की संवैधानिक सूरक्षाएं की और उन सूरक्षात्रों को लाग करने वाले संस्थान अधिक मशक्त बनाने की सिफारिश की। इसलिए हम देखते है कि कांस्टीटयशन में जो मार्टि-कल 29वां है, इममें लिखा हम्रा है :-

"(1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same."

यह श्रधिकार हमारे सिविधान के ग्रन्तर्गत दिया हुग्रा है। इसी तरह से श्रीमन्, ग्राटिक्ल 347 में लिखा हुग्रा है :-

"347. On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify."

में सब तो नही पढ़ता, लेकिन इसी तरीके से भ्रार्टिक्ल 350 में यह ग्रधिकार दिया गया है कि :--

"Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be." इसी तरह से भ्रौर भी दिया हुआ है। श्रीमन्, म्रार्टिकल 350 (ए) में इस बात की कोशिश की गई कि प्राइमरी स्टेज में लोकल बाबीज मे जो प्राइमरी एजुकेशन हो, वह लोगों की ग्रपनी मातृभाषा में हो । श्रीमन्, मातुभाषा के मानी यह हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जिस भाषा को भ्रयनी मा के दूध के साथ सीखता है, वह उसकी मातुभाषा मानी जाती है। लेकिन देखने में यह ग्राया कि बावजूद इन कास्टीट्यशनल प्रोटेक्सन्स के, इन कास्टीटयुशनल सेफगाई म के,हर स्टेट्स से इम बात की शिकायत आती है कि उनका पूरा-पूरा कार्यान्वित नही होता है। उनका पूरा-पूरा इम्पलीमेन्टेशन नही होता है। महाराष्ट् का जिस समय नया स्टेट बना, तब बहुत कुछ ऐसे भी हिस्से वहा गये हैं जो कि एक जमाने मे कन्नड बोली जाने वाले क्षेत्र थे या कहिए किसी वक्त मे मैसूर का हिस्सा था। ग्रब वहा की शिकायत यह है कि वहां के विद्यार्थियों को अपनी भाषा में पढ़ने की मुविधाए नहीं है और मराठी भाषा उनके ऊपर जबर्दस्ती थोपी जाती है। यह एक बोन आफ कन्टेशन है, मैं उसमे तो जाना नहीं चाहता कि वह कहां तक सही है, कहा तक गलत है, मगर एक बात जरूर चाहता हं, जब हमने कास्टीट्यू-शन मे ये सेफगार्ड स किये और जैसा कि इस रिपोर्ट के ग्रन्दर भी लिखा हुग्रा है कि ग्रगर किसी स्कूल के ग्रदर 40 बच्चे हो या किसी जगह या किसी एक खाम कक्षा में 10 विद्यार्थी भी हो तो उनको उनकी मातुभाषा मे एक टीचर रख कर पढ़ाने का इतजाम किया जाना चाहिए। इसमे यह भी लिखा है कि लोगो को ग्रपना रिप्रेजेन्टेशन अपनी भाषा में देने का अधिकार होगा और यह भी लिखा हुम्रा है कि स्रगर किसी जिले में 15 या 20 परसेन्ट ग्रादमी एक ग्रमक भाषा को जानने वाले हो तो उस जिले के श्रंदर जो मरकारी नोटिस श्रौर प्रकाशन होगे, वे उस भाषा में भी किये जायेंगे, वहां की स्टेट भाषा के माश-साथ। इसमे यह भी लिखा हुआ है कि राज्य मुख्यालय में एक ट्रान्सलेशन ब्यूरो होगा जो विभिन्न भाषात्रों के प्रदर ट्रामलेशन किया करेगा और यह भी है कि जिस भाषा में याचिका या पेटीशन या ब्रावेदन-पत्र होगा, कोशिश यह की जाएगी कि उसी भाषा मे उसको उत्तर दिया जाये। एक यह भी सिफारिश थी कि राज सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य की मरकारी भाषा के पूर्व-ज्ञान की शतं नही होनी चाहिये और परीक्षा के माध्यम के रूप मे अग्रेजी अथवा हिन्दी का प्रयोग करने की श्रनुमित दी जानी चाहिए। यह सब श्रीमन, भाषाओं के बारे में कहा गया है।

जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में वहां है की इस तरह की शिकायत है कि उनको ग्रप सीखने की मुविधा नहीं है, ग्रन्य प्रदेशों में भी शिकायत है।

अब मैं पजाब की बात कहना चाहता रिपोर्ट के पेज 60 में लिखा है कि पजाब मरका प्रश्नावली भेजी गई थी, उसके सबध में वहा की ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही किसी प्रकार आकड़े ही दिये कि वहां पर लिग्विस्टिक मा कितनी हे या नहीं है। अगर वहां पर लि साइनारटीज है नी उनका परसेटेज किनना तरह के आकड़े वहा की मरकार ने नह श्रीमन, यही नही, चर्चा के दौरान भी इस ओर कमीशन का ध्यान दिलाया गया, परस्परकार का कहना है कि हमारे यहा तो अल्प सख्यक नहीं है। मगर कमीशन का कह कि यह तथ्य मही नहीं हैं।

यही नहीं, श्रीमन्, जो सच्चर फार्मूला था भी उन्होंने रद्द कर दिया। वहा के लोगों ने 347 श्रीर 350 के श्रन्तर्गत यही माग की है पति पजाब सरवार को यह निर्देश दे कि स् मुनाबिक भाषा ग्रल्प सख्यकों को हिन्दी उर्दृ श्र मे शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाय।

श्रीमन्, इसी तरह से बहुत मी चीजे है। लोगों को कही कुछ मुविधा प्रदान की भी गर हिन्दी के बारे में तो सरकार से जो मुविधाए प्राप्त थी, उन्हें भी बन्द कर दिया है। इस मालूम पड़ता है कि पजाब सरकार ने हिन्दी है ग्राफेन्सिव ने रखा ह या ऐसा कदम उठाना है। हिन्दी भाषियों के प्रतिनिधियों द्वारा ब कि पजाबी विश्वविद्यालय की पाट्चर्या के विद्यार्थी जिन्होंने मैट्रिक तथा उच्चतर स्तर पर माध्यम के रूप में हिन्दी ली हो, हिन्दी माध्यम नहीं ने सकते, जबिक ग्रग्नेजी ऐसी मुविधाए उपलब्ध है। यह बात रिपोर्ट है। इस तरह हिन्दी के साथ वहां पर भेदभा

[श्रीनवल विशार]

रहा है। मैं यह देख रहा ह कि वहापर पहले उर्द के साथ भी थोडा बहत भेदभाव किया जाता रहा लेकिन हिन्दी के साथ खाम तौर पर भेदभाव किया जाता है। पजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा, जैसा कि रिपोर्ट में दर्ज है कि हिन्दी तथा उर्द भाषियों को प्राथमिक तथा माध्यमिक सरकारी स्कलो मे अपनी मातभाषा के माध्यम में शिक्षा प्राप्त रस्त की काई मृविधाए नहीं है। ता मै यह जानना चाहना ह कि जिन्दी मे शिक्षा प्राप्त करने के लिये पजाब सरवार क्यो वार्ट गारन्टी नहीं दे सकती है 🤌

इसी तरह से इस रिपार्ट में ग्रागे लिखा है कि मार्च, 1971 में चडीगढ़ वार्ता के दौरान शिक्षा मचिव द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि पजाब सरकार का शिक्षा के प्राथमिक नथा माध्यमिक स्तर पर सरकारी स्वला में नेवल पंजाबी नो ही शिक्षा का माध्यम रखने की ग्रपनी नीति मे परिवतन करत का काई विचार नहीं है। पजाब सुबा भी हिन्दूस्तान का एक सुबा हे स्रीर में पंजाबी भाइयों की रज्जन करता है। मुझे इस बात का दुख है कि इस बारे में उनका इस तरने का एटीटयड क्यो है ? सविधान में इस बात की गारन्टी है कि हिन्दी हमारी गप्टुभाषा है और इस बात भी ऋवश्य काशिश की गई है कि हिन्दी भाषा का किसी व उपर थापा न जाय, बल्कि ग्राहिम्ने-ग्राहिम्ने उत्तर दक्षिण पुत्र ग्रार पश्चिम में वह स्वय उभर कर ग्राय भौर ग्रन्त में वह सम्पूण राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बन जाये। एक तरफ ता हमारे सविधान में इस तरह की बात करी गई है श्रीर दूसरी तरफ पत्राव में हिन्दी क खिलाफ इस तरह का विराध है जा कि काविते बरदाश्त नहीं है।

इसी तरह से ग्राप दखरों कि तमिल नाट की जहां तक बात है, तमिल नाट में जा नामिल भाषा है वह ग्रपनी जगह पर हे ग्रीर भी जितनी रिजनल भाषाण है उनकी श्रपनी जगह है, सरकार इस बात की कायल है कि जो तीन मुद्धीय लेगवेज फामला है उसको लागू किया जाय सारे हिन्दुस्तान म । जब म उत्तर प्रदेश में शिक्षा मती था ता उस समय उत्तर सूबीय लगवेज फार्मुला प्रदेश में तीन करने की बात की गई थी। एक भाषा तो हिन्दी थी, दूसरी अग्रेजी थी और तीसरी भाषा चाहे उर्द हो या फिर माउथ इंडिया की काई भागा हा, जिसका

वहा पर विद्यार्थियों का पढना चाहिए था जिससे । हर मनुष्य को कम से कम एक दक्षिणी भाषा का ज्ञ प्राप्त हासके। हमारे यहा लखनऊ के अन्दर ए इस्टीटयट खोल रखा है, जहा पर माउथ भाषात्रों की शिक्षा दी जाती है, जहां पर लोग साउ इंडिया की भाषात्रा को सीखते है तथा उसमे इंग्लिह पास करत है। मद्रास में हिन्दी के खिलाफ किसी तर का ग्रान्दालन हो यह बात समझ में नहीं ग्राती है जबा मद्राम में भी वाफी लोग हिन्दी बालते है। इसी तरह ग्रान्ध्र की बात है ग्रौर पजाब की बात है। हिन्दी क्षेत्रीय भाषामा में टकराव कहा है ?

मेरे दोस्त जा अभी बोल रहे थे उनमें से मैं द बात मे इत्तिफाक करता ह कि उर्द भाषा मुसलमा की भाषा नहीं है। भाषा का कोई वास्ता किसी मजह मे नही होता। ग्रगर उर्द मुमलमानो की भा हातीता स्राजबगला देश के भ्रन्दर वहाकी भा बगाली नहीं हाती, उर्दू हाती । ग्रान्त्र का हिन्दु ग्र आध्र का मुमलमान दोना तेलग बोलते ह । इसी त मे बगला देश में और पश्चिमी बगाल में बगाली बोल है, तमिल नाड् मे तमिल बोलते ह । पाकिस्तान के ग्रन सिन्ध में सिन्धी भाषा है, पत्राब में पत्राबी ग्र उर्द है। भाषा का कार्ट बाम्ता मजहब से है इस बात (म नहीं मानता हूं। मेरे दास्त इत्तिफाक करेंगे ! हिन्दी के जो बड़े-बड़े कवि हुए है, जैसे कबीर हुए, रही माहिब हुए, रमखान हुए, जिन्होंने हिन्दी माहित्य खजाने का अपनो योग्यता से भर दिया वे हि नहीं थे। चकबस्त ममलमान नहीं है, फिराक माह मसलमान नहीं है, मुल्ला साहब जो इस वक्त यहा न है ग्रीर उद् के एक ग्रन्छे शायर है वे भी मुसलमा नहीं है। जहां तक उर्दका वास्ता है, मंउन लोगो से हुजो उर्द्को उत्तर प्रदेश की उतनी हे जिननी हिन्दी को ह। झगड़ा स्त्रिंग्ट का पड़ना है कि कोनसी स्त्रि हो । म जा जबान बोलता हू वह न ठेठ हिन्दी है ठेठ फारसी है वह ऐसी भाषा है जिसका सब सम सप्ते हे...

श्री सिकन्दर ग्रली बज्द ' श्राप उर्दू बोल रहे है श्री नवल किशोर इसको में उर्दू कहता है, हिन कहताह हिन्दुस्तानी कहताहू। एक चीज जो मु लगती है वह यह है कि नापा को उसकी मैरिट प हमको डिस्कम करना चाहिये। उत्तर प्रदेश मे इस बात की कोशिश की गई स्त्रीर इस बान के स्नादेश है गवर्नमेट के कि कचहरिया में जो भी चाहे उर्दू में एप्ली-केशन दे सकता है, वहा ट्रास्त्रेशन का भी उन्तजाम है। यह भी है कि जिस कक्षा में पाच विद्यार्थी भी उर्दू

चाहेगे, वहा टीचर को मुहैया करना पडेगा। दिक्कत यह पटनी है—मेरा एक्सपीरिएम भी हे—कि हमने टीचर दे दिया, लेकिन वहा पाच स्ट्डेंट भी नही मिलत। सगर, श्रीमन, सबसे बडी परेणानी यह है दि उर्द भी

उत्तर प्रदण के अन्दर पोलिटिक्स बन गई है। में 100 परमेट अपने उन दाम्तों के माथ हूँ जो उर्दू की तरक्की चाहते हैं। उर्दू भी हमारी 1! भाषात्रा में से हैं। उर्द, जैसा त्यागी जी न कहा, ग्राणिकों की भाषा है ग्रीर हिन्दी माणुका की भाषा है। ग्रगर ग्रापन इस

बात को एक्सेंग्ट क्या ता ग्राणिक का भी माणूक की भाषा पढ़नी पड़ेगी, यह नहीं कि सिफ माणूक ही ग्राणिक की भाषा पढ़े, क्योंकि कायदा यह है कि ग्राणिक का दबना पल्ता है माजक से ।

श्री पीताम्बर दास . उल्फल का तब मजा ह जा

दोना हा बेकरार । श्री नवल किशोर : ग्रीर दोनो तरफ तो ग्राग वरावर वर्गा तर्द । दसलिए सै सामसे कदना चारता त कि

लगी हुई । इसलिए मै प्रापमे कहना चाहता ह कि ग्राप उर्द् की मही चिदमत तभी करेंगे संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण ग्रीर ग्रावास

हम करेगे।

श्री नवल किशोर श्राम् मेहता श्रापकी गिनती
माशका म होती है, श्राप मत बोली।

मंतालय मे

राज्य मंत्री (श्री ग्रीम् मेहता) :

श्रो महाबोर त्यागी काण्मीर के रहने वाले सब माणूक है।

श्री नवल किशोर. ता म यह अर्ज कर रहा था कि अगर आप उद् की तरक्की चाहत है ता आपका यह भी कहना पर्डगा कि हमार उद परस्त माथी उर्दू के साथ-माथ हिन्दी को भी पढ़े। हम लाग उर्द् पढ़े, वे लोग हिन्दी पटे। यह सवाल हिन्द-मुसलमानो का नहीं है।

होता क्या है ? उत्तर प्रदेश का चुनाव ग्रारेंग है ता

भ्राजकल बड़ा जोर है उर्द के टीचम नियुक्त करन का।

हमारी गवर्नमेट री बात आप रह सकते है चाहे गलती की हो । लेकिन इस पार्टी कल तक थी, फिर प्रेसिडेन्ट शासन भी इ मगर अब पता चला है कि दो हजार उर्दू द किए गए है और इतने ही और क्यि जायेगे लिये या उसकी तरक्की के लिये उतना न मिर्फ दो हजार वर्कर पैदा हिये जा रहे है के आन वाले चनाव के लिए।

श्री श्रोम मेहता : यह बात नहीं है श्री नवल किशोर श्रोम् मेहता, ग्राप भी हे कमिन भी है, लेकिन जो चीज मैं उसका भी ध्यान से मुनो ।

आप ताज्जब करेगे। उर्द् एडीटर्स क हुई। े उसका स्वागत करता हू। जो उटाया जायेगा उर्द् की तरक्की के लिए साथ देगा। सगर वह उर्द् एटिटर्स काफ्रेस की तरफ से नर्टा थी, वह एक स्टेज सैनेज्ड

श्री सिकन्दर ग्रली बज्द र हिन्द राह

श्री नवल किशोर हा सक्ता है क मैनज्ड शाहा। इस समय में हिन्दी श्र कपीटिशन नहीं कर रहा हू। उसमें शेख

थी उसके बार म क्या था 🤅

तणरीषः लेगये य और प्रधान मत्री भी में रि आप उनके पक्त में न पसे ।
श्री सिकत्दर श्रली वज्द 60 वर्ष के ब पजे मे नहीं आता।
श्री नवल किशोर में यह बात समझ

स्रादमी की इटेलिजेम कभी स्टेटिंग नहीं हो डायनेमिक है। मंगे इफामें जन यह है कि म टेजन इम कान्फेन्म में डाइन्क्टर स्राफ इ इध्यू किये। 1 लाख 14 हजार स्पर्थ गर्वामें में दिये गये। इसम उर्द् की मही मेवा न लाग जरूर बहुनाये जा मक्ते है। मह

े काई भी गवर्नमेट हा उत्तर भारत में हा या दि में, मैं इस बात का मानता है कि कोई भी गव लेक्नि जो भाषा है, चा 'बह भाषा हिन्दी हो हा या ग्रौर भाषा हो, इसकी स्विधा हानी ही 191

[श्री नवल किशोर]

मैं न पिंगयनाइज्ड उर्दू के हक में हूं,न संस्कृटाइज्ड हिन्दी के पक्ष में । इसी लिए गांधी जी ने कहा था कि हमकी उर्दू और हिन्दी मिली जुली हिन्दुस्तानी भाषा पर फख्य होना चाहिए । मैं नही जानता कि बाबू जगजीवन राम ने विहार में क्या बात कही मगर एक बात मैं जानता हू कि चाहे उत्तर प्रदेण हा, चाहे बिहार हो, चाहे उडीमा हो, हर स्टेट की जो अपनी भाषा है, उस भाषा के माथा साथ मैं इस विचार का हू कि हिन्दुस्तान के जितने भी सुबे हैं उनमें अन्तमन्त्र्यकों की जो भाषाये हैं, उनका सुधार होना चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि यह ऐसा चमन है जिसमे अगर तरह-तरह के फल नहीं खिलेंगे तो उसमें एक मोनोटनी पैदा हो जायेगी।

आज भाषा के नाम पर फैनेटिसिज्म चाह हिन्दी के समर्थकों का हो, चाउं ऐन्टी हिन्दी के समर्थका का हो, मैं उन लोगों में ह जो हिन्दी को किसी स्टेट पर थोपना नहीं चाहते है। लेकिन यह बात आपको माननी पडेगी कि यदि हिन्दुस्तान को एक राप्ट्र की शक्ल मे एकता के माथ रहना है, तो कोई न कोई भाषा इसकी होगी । चाहे तिम र राष्ट्रभाषा बन गई होती, मझे इसमे ग्रापत्ति नहीं, मगर ग्रग्नेजी को पसन्द करे, हिन्दी से हम नफरन करे, श्रीमन, यह हमारी देश-भिनत, पेट्रियाटिज्म के खिलाफ है। बगला भाषा बहुत स्वीट है जैसे कि युरोप में फैच कही जाती है वडी स्वीट भाषा है। ग्रगर मृह मे रसगुल्ला रख कर हिन्दी बोलिये तो वह बगला हो जाती है, मह मे ककड़ भर कर बोलिये तो दुसरी भाषा हो जाती है, मै उसका नाम नहीं लुगा। तो जो इतनी मीठी भाषा है कि बिना रमगल्ले के मिठास ब्रा जाए तो मै इस व्यु का ह कि ऐसी भाषा सबको मीखनी चाहिए । मैंने जेल मे गुजराती पद्धी ।

मैं जो बात करना चाहता था इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में वह यह है कि इस कमीशन ने बहुत हो अच्छे शब्दों में यह बात बताई है कि बावजूद कस्टीट्यूशनल सेफगाई के बावजूद सरकारी कमिटमेट के बावजूद हमारी लम्बी-लम्बी स्पीचेज के, आज भी हर स्टेट के अन्दर जहा लिखिस्टिक माइनारिटीज हैं, उनके साथ पूर्ण इप से न्याय नहीं हो रहा है!

श्रीमन, मैं बड़े ग्रदब से कहना चाहता ह कि मुझे पजाब की क्या स्थिति है, इसका पहले इतना ज्ञान नही था। श्रभी तक मैं समझता था कि साउथ में ही स्रपोजिशन है। मगर हरियाणा स्रीर पजाब जो कल तक एक था, वहा जिन लोगों को प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी मे शिक्षा प्राप्त करने की सविधायें प्राप्त थी, वह भी ग्रव बन्दकरदी गई हैं। ग्रगर हिंदुस्तान में यह चीज चलेगी, इस समय वहा काग्रेम गवर्नमेट है, मगर मैं काग्रेस की बात नहीं करता, मगर जिस पार्टी की सरकार यहा है उसी की वहा की गवर्नमेट हो, तब फिर यह कितने शर्म की बात है कि पजाब के अन्दर हिन्दी के साथ यह बर्ताव किया जाए और वहा की गवर्नमेट कह दे कि कोई लिग्वस्टिक माइनारिटीज वहा नही है। ऐसे फैटेस्टिक स्टेमेट को हम कैमे बर्दाश्त कर ले। मैं उम्मीद करता ह.

श्री महाबीर त्यागी: लेकिन यह मानना पडेगा कि पजाब मे जिम पार्टी की गवनंमेट है, उसी पार्टी की गवनंमेट सेटर मे है, तो क्या यह इसको ठीक नहीं कर मकते।

श्री नवल किशोर: इसी लिए और भी जरूरी ह गया हमारे मोहिमन साहब बैठे है, पता नही यह कितना कर पायेगे, मगर मै चाहता हु कि हमारे होम मिनिस्ट माहब पजाब मरकार को बुला करके कहे कि इस तर, का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का आप क जो ऐटिट्यूड है, वह बिलकुल गलन है भ्रौर काबित बर्दाक्त नही है, उसको चेज कीजिये, ग्रगर वे चेज नहीं करते है तो ग्रडर ग्रार्टिकल 347 ग्रीर ग्रडर ग्रार्टिकर 350 उसको प्रेमिडेट साहब की तरफ से डाइनेक्ट दिया जा सकता है। इसी नरह से चाहे खाध्र की स्टेन हो, चाहे तमिल नाड़ की स्टेट हो, चाहे उडीसा की सं हो, चाहे कोई स्रौर स्टेट हो, कही इस तरह की बा नहीं होनी चाहिये। मैं यह चाहुगा कि उर्द् भाषा मि उत्तरी भारत की भाषा न हो ऐज वन ग्राफ दि । लेखेजेज । इसका अगर विकास दक्षिण मे भी हो, ह मुझे इस बात की खुशी होगी । (Interruption) ग्रपने भाई से कहुगा कि ग्राप तमिल नाडु मे जाकर उर्दू वोलिये, तो लोग पूछेगे कि किस देश से स्राये है

श्री सिकन्दर श्रली वज्द: मै मद्राम में मुशायरे गया तो वहा दम हजार श्रादमी शरीक हुए श्रीर ती दिन मुशायरा चला । वहा इम जवान को लोग सम-झते हैं।

श्री नवल किशोर: ग्राप मृशायरे मे गये थे। मैं चाहता हू कि यह भाषा मृशायरे से हट कर के ग्राम लोगों मे ग्रा जाए।

श्रो सिकन्दर ग्रली वज्दः मुशायरे मे पालियामेट के मेम्बर कम ग्राते हैं, ग्राम ग्रादमी ज्यादा ग्राते हैं।

श्री नवल किशोर: मुझे भी बढा शोक है मुशायरे का...

श्री ग्रोम् मेहताः ग्राप भी कोई शेर सुना दीजिये।

श्री नवल किशोर: मैं इमको मुशायरा नही बनाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हू कि ऐसी रिपोर्टों के मबध मे आज यह ट्रेड होता जा रहा है कि चाहे वह युनिवर्सिटी प्राट्स कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह पब्लिक सर्विम कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह लिग्विस्टिक माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट्स एड शैड्यूल्यड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट हो, वह पार्लियामेट मे पेश कर दी गई। उस पर बहस हो गई भ्रौर हमारे पालियामेटरी मिनिस्टर श्रोम् मेहता माहब ने समझ लिया कि हमारा काम खत्म हो गया। मैं चाहता हू कि वास्तव मे ऐसी रिपोर्ट्स में जो सिफारिशें की जाये, उनका इम्प्लीमेटेशन हो। स्रोम् मेहता साहब नही हैं, लेकिन मोहसिन साहब बैठे हुये हैं। उनका भी इससे बहुत बड़ा वास्ता है। मैं उनसे कहना चाहता हू कि ग्राज भी सेटर मे हिन्दी के साथ डिस्किमिनेशन होता है। भ्रापने कास्टिट्यूशनल कमिटमेट किया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। उसकी तरफ मजबुती के साथ आपको कदम बढाना चाहिये। मैं इससे इत्तिफाक करता हं कि श्राप कोई काम ऐसा मत करिये जिस से किसी के जजबात को ठेस लगे। मगर जब हिन्दी को भ्राप को राष्ट्रभाषा बनाना है, तो इस कदम को सेटर से भ्राप को शुरू करना पहुंगा। सेटर मे चाहे ट्रास्लेशन का मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो, ग्राप हिन्दी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी जो सिफारिशें की जाय उनको इम्पलीमेट किया जायं। खास तौर से जो श्रासाम, श्रान्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब श्रादि की

वात कही गई है, लिग्विस्टिक माइनारिटीज के सबध मे, उन पर विचार कर के वहा के लोगो को प्रापर प्रोटेक्शन प्राप्त होना चाहिए।

Commissioner for

Linguistic Minorities

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी (मध्य प्रदेश) : उपाध्यक्ष जी, भाषा, भाषा-भाषी उन के बहुमन और उनके ग्रल्पमत पर जो विवरण ग्राया है उस पर विचार हो रहा है। मुझे पहले तो भाषा के सबध मे यह बात कहनी है कि भाषा की परिभाषा मे वे ही भाषाये आती है कि जिनका ग्रपना साहित्य होता है स्वतन्त्र रूप से श्रौर जिनकी प्रतिष्ठा किसी एक भू-भाग मे होती है। भाषा का इतिहास यह कहता है कि दुनियां के प्रत्येक भू-भाग मे जब कि वे एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे जितने कि भ्राज हो गये है या विशान ने जितना पास भ्राज उन को कर दिया है, उस समय श्रपने-श्रपने भ्-भाग मे ग्रपनी ग्रपनी भाषा की उत्पत्ति हुई। किसी भाषा का सिद्धान्त ध्विन या तो किसी भाषा का सिद्धान्त कुछ श्रीर या श्रीर इस तरह से विभिन्न भाषाये बन गयी। हमारा ग्रपना यह विशाल देश है ग्रौर इसलिए स्वाभाविकत बडे देशों में कठिनाइया होती है स्रीर इस कारण न जाने कितनी भाषाये इस देश में हो गयी, उन की उत्पत्ति इस देश के विभिन्न भागों में होनी थी ग्रीर ग्राप चाहे किसी भी बडे देश को ले लीजिए, जैसे ग्रभी योरोप का जिक हो रहा था कि वहा कितनी ही म्रलग-म्रलग भाषाये हैं और वे म्रपने-म्रपने किस्म से बनी इसी तरह से हमारे यहा भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व भ्रौर पश्चिम भ्रौर मध्य मे भ्रलग-म्रलग भाषाये बन गयी जो कि उनकी उत्पत्ति माना जाता है कि एक तमिल को छोड कर प्राकृत से या सस्कृत से या ग्रपभ्रश से हुई। यही कारण है कि तमिल को छोडकर बाकी सब भाषाग्रो में संस्कृत के शब्द पाये जाते हैं, किसी में ग्रधिक ग्रौर किसी मे कम पाये जाते हैं। जब कि भाषावार प्रान्तो की रचना हुई तब उस समय सिद्धान्त तो यही था कि जहा एक भाषा बोलने वाले भ्रधिक भाषा भाषी लोग हैं, उनका भ्रपना भू-भाग है उनको भ्रपनी ग्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मिले भीर वह धपने यहा के विद्या-र्थियो को भपने यहा के नागरिको को उसी भाषा में शिक्षा दे सकें जो कि उनकी मातृ भाषा है या जिस भाषा को वहा का बहुमत बोनता है श्रीर यही कारण है कि एक बार प्रान्तो की रचना हुई, फिर कुछ एतराज हुए और फिर से उस सब पर विचार किया गया ग्रौर

[पडिन भवानी प्रसाद निवारी]

195

उसके बाद फिर वृद्ध प्रदेश ग्रीर बन गये। ग्रभी तक थोड़ा बहन उसी का स्राधार ले कर राज्य बनते जा रहे है। हमारे ग्रपन मंत्रिधान में 14 भाषाकों को अधिकृत रुप से माना गया । यह माना गया कि यह देश की प्रमुख भाषाये है। ग्रभी विवाद में ऐसी भाषाका का नाम लिया गया जैसे कि कावण है, या टल है, लेकिन

भाषा की परिभाषा के ग्रनमार उन्हें भ था नहीं माना जा सकता। उन को बाली क्रहेगे, या टाइलेक्ट कहेगे, पर पूरी भाषा, जिसमे साहित्य होता है वह

उन को नहीं मान सकते । इस रिपोर्ट में जो प्रसग है वह सविधान में बोलने वाली भाषाश्रो श्रीर उन के प्रसग में अल्पमन ग्रीर बहमन जहां तहा पैदा होता है उस पर कुछ कहा गया है। ग्रब ग्राप देखेंगे कि देश म

जो सब से अधिक भाषा बोली जाती है वह हिन्दी है। किन्ही प्रान्तों में वह कम बोली जाती है, जैसे दक्षिण में, वहा यह अल्पमन में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में यह श्रल्पमन में है। इसी प्रकार मंभी भाषात्रों का हाल है। जैसे ग्रभी ग्रामाम का जित्र किया जा रहा था

वि श्रामाम मे जहा श्रमिया क्षेलने वालो का बहुमत है, वहा पर दगाली जो है, कछार में जो लोग रहते ह बगाली भाषा भाषी है वह ग्रन्यमन में है। इसी प्रकार

पजाब का जिल्ल त्यामी जी ने किया और बनाया कि वहा पत्राबी बोलने वालो का बहुमत है। स्नाज जैमा पजाब वन गया है उसमे यह ठीक है परन्त वहा भ्रत्यमत

की भाषाये है उससे कोई टकार नहीं कर सकता और बोर्ट इकार करता हेता गलत करता है। ता जो एक जगह बहुमत की भाषा है वह दूसरी जगह ग्रल्पमत की भाषा बनती है। श्रीमन्, राज्यों का विभाजन हुया

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : ग्रीम् मेहता साहब, अभी वोटिंग हो तो बराबर हो जायेगा।

है भाषात्रों के ग्रन्सार ग्रीर तीन भाषाय है

श्री श्रोम मेहता श्राप हमे हरा दीजिये, हमे कोई एतराज नहीं हैं।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : ग्राप ग्रलग से मत पालियामेट चलाग्रो यादव जी ।

श्रीमन्, में अर्ज यह कर रहा था कि सविधान में जिन चौदह भाषास्रों का प्रसंग स्नाना है उनमें तीन भाषाये एसी है जो कि किसी राज्य की बहमत की भाषा कही जावे एसी स्थित नहीं ग्राई हे ग्रीर वे तीन भाषाये है--मिधी, सम्कृत, ग्रीर उर्द् । भिधी--जिसका काई राज्य नहीं है जहां कि वह बहुमन की भाषा कही जा सके, स्वय सम्कृत जो है उसका बहमत में बोलने बाला काई राज्य नहीं है क्रौर उर्दु भी ऐसी ही भाषा है कि जिसका किसी राज्य में बहुमत नहीं है बोलने वालो

श्री एफ ० एच ० मीहसिन वाज्मीर में तो ग्राफि-णियल लैगएज है।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी काण्मीर में है। मैं करना यह चाहता था कि उसी उर्द साधा से—-ग्राज जिसकी चर्चा है ग्रभी जो शायर साहब थे वह चले गये जिन्होंने उसके सबध में बाते कही--उसी में भाषाओं के मण्ध में इतनी प्यारी ग्रीर मीटी बात कही गई है जा सब पर लाग होती है---ग्रीर ग्रभी भाई त्यागी जी

उननी मीठी बान कही है सब जबानों के बारे में। ग्रभी ग्राणिक माणक वगैरह का भी चर्चा हम्रा। वहा है कि एक की दास्तान ह प्यारं ग्रीर ग्रपनी ग्रपनी जबान ह प्यारे--यानी सभी भाषाये मानवप्रेम का गुणगान गाती है, उनकी ग्रपनी-ग्रपनी स्टाइल है, ग्रपनी-ग्रपनी गैली है, ग्रंपनी-ग्रंपनी ग्रंभिव्यक्ति है, जिसमे वह ग्रंपने

का ग्राभव्यक्त करते है। इसी तरह मभी जबानो का

मामला ह ता यह हमारी समझ मे नही स्राता कि इसका

श्रीर सब लोग जित्र कर रहे थे--तो उर्द में ही एक

राजसना और उसके अधिकारों से जोड़ कर और जगह जगह ग्रल्पमत ग्रीर बहमत के नाम से जो एक दुसरे के प्रति घणा ग्रौर नफरत पैदा की जाती है वह क्यो ! यह बड़ी गलन बान है। ग्रमल में समस्त भाषाग्रो का जो सबध है वह बड़ी भ्रोर छोटी बहनो का सबध है। कही पर जहा बहमत है बोलने वालो का वह बड़ी बहन है ग्रीर जहा ग्रल्पमत भाषा भाषी है वे छोटी वहन है ग्रीर जो बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच में मबध होता है यही सबध यदि सब जगह रह जाये--जैमे नामिल

बहन है और यहा जो अल्पमत है भाषा भाषियो का वह छोटी बहन है तो यह झझट खत्म हो जाये । इमी नरह से ग्रामाम मे या सब जगह यही उसका हाल है कि बड़ी बहन ग्रौर छोटी बहन के रिश्त से ये सब भाषाये ग्रापस मे रहे

है-वहा नफरत न हो और वह समझे कि वह बड़ी

मरकार इस संबंध में क्या करे। तो मुझे यह सुझाव देना है कि प्रत्येक राज्य में एक ऐसा केन्द्र हो चाहे उसका ग्राधा खर्चा राज्य वहन करे ग्रौर ग्राधा केन्द्र वहन करें जिसमें सिर्फ लेग्जेज ही पढ़ाई जाय ग्रौर चार भाषाय प्रत्येक सटर में हो, ऐसे जितने भी राज्य है उन राज्यों में ऐसे चार भाषा भाषी केन्द्र खोले जाये जिसमें केवल भाषाये पहाई जाय । ग्राप देखेंगे, ग्रीर मेरी कल्पना यह है, कि जैसे मैं मध्य प्रदेश से खाता ह, मै जानता ह वहा भ्राम-पाम मराटी भी बोली जाती है, गजराती भी बोली जाती है, तेलग या उडिया भी बोली जाती है, तो ये 4 भाषाए मध्य प्रदेश में पहायी जाए, कही एक केन्द्र बना कर, इस नरह से प्रत्येक केन्द्र मे करीब चार-चार भाषाच्यों के क्षेत्र हो, ता ग्रापस में प्रेम होगा, नफरत नहीं होगी, फैलाव होगा, एक दूसरे वी भाषा को लोग जानेंगे। यह मुझाव मझे देना है। दूनिया जिस तरह से चल रही है, हम ग्रल्पमन ग्रीर बहमत के नाम को लेकर ब्रापस में झगड़ते है, मार-काट करने है---यह हमारे लिए शर्म की बात है। दगला भाषा इतनी ग्रच्छी भाषा है ग्रौर उसकी ग्रभिव्यक्ति इतनी शक्तिशाली हई कि रबीन्द्र नाथ अक्र मारी दुनिया को एक महाकवि

स्वीकार हुए श्रीर उनके बोलों के ऊपर श्राज इक्लाब होते हैं श्रीर जिमका कि हम श्रपने देश में माइनारिटी या श्रत्यमत की भाषा कहते हैं, उसकी श्रिभव्यक्ति इतनी ताकतवर हुई। श्राज रवीन्द्र नाथ गुरदेव कहलाने हैं, सारी दुनिया उनको ऐसा मानती है। श्राज मानम चनुष्णतों में तुलसीदाम के रामचरित्यमानम का रूसी में, श्रश्रेजी में, श्रमुवाद हो चुका हे श्रीर दुनिया उसको जान रही है। तो हम भी यही समझते हैं, ससार ऐसा प्रयत्न करे कि प्रेमप्वंक एक भाषा दूसरी भाषा में गले मिले और इम काम को श्राग बदाए, जिसका कि सकेत इस विवरण में है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. to-morrow.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 28th November, 1973.